संख्या-सं0वि0क0नि0-5-4833/11-2000

प्रेषक

देश दीपक वर्मा
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

(1) समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 31 अगस्त,2009

विषयः- अचल सम्पत्ति क्रय करने के उद्देश्य तथा भविष्य के सम्भावित प्रयोग को अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्यांकन का आधार न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-5-1420/11-99-500-(38)/99 दिनांक16 अगस्त, 1999 का सन्दर्भ ग्रहण ले जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अचल सम्पत्ति के भविष्य में सम्भावित उपयोग तथा क्रेता का भूमि को क्रय करने के पीछे भविष्य में उसका क्या उद्देश्य है, इसे बाजार मूल्य के निर्धारण व उसके आगणन का आधार नही बनाया जाना चाहिए। पुनः शासन के पत्र संख्या-क0नि0-5-4307/11-2004-500(5)/2003 दिनांक 05 अगस्त 2004 द्वारा इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया गया है।

2- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा इस विभाग के संज्ञान में यह लाया गया है कि उक्त निदेशों का अनुपालन जनपदों में सुनिश्चित नही किया जा रहा है। इसके कारण हाईटेक टाउनशिप तथा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। उनके द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य पर उचित स्टाम्प शुल्क देकर लेखपत्र पंजीकृत कराने के बावजूद उप निबन्धक द्वारा ऐसे लेखपत्रों को भविष्य के प्रयोग के आधार पर मूल्यांकन कर कमी स्टाम्प शुल्क हेतु सन्दर्भित किया जा रहा है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16 अगस्त 1999 व 05 अगस्त,2004 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और सम्पत्ति के वर्तमान स्वरूप और वर्तमान उपयोग के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाय, भविष्य की सम्भावनाओं पर आधारित मूल्यांकन न किया जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय
ह0/-
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-4833 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर सचिव, राजस्व परिषद/आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(3) महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से

ह0/-

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव